राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांक: -9 MAY 2019

–:परिपत्र:–

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.12.2018 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरे जाने थे।

चुनाव कार्यों में व्यस्तता के मद्देनजर सभी राजपत्रित अधिकारियों को एक अंतिम अवसर देते हुए राज–काज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल सम्पत्ति विवरण (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) ऑन–लाईन भरने के संबंध में 30 जून 2019 तक समय सीमा बढ़ाई जाती है।

अन्तिम अवसर 30 जून 2019 तक प्रदान करने के बावजूद भी जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण अपलोड नही करते है, उन राजपत्रित अधिकारियों की देय वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नही की जावेगी।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3.वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4.समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5.समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6.समस्त संभागीय आयुक्त ।
7.समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8.प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग–7 कापियों सहित ।
9.एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।
10.तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :–
1.सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
2.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3.पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
4.अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर ।
5.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6.पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर ।
7.निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
8.समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर।
9.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव